

# कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 8131 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024 रायपुर,

दिनांक 09/09/2024

## “सूचना”

### छत्तीसगढ़ राज्य के दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (MDS) की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश वर्ष 2024 हेतु स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड आबंटन

छत्तीसगढ़ के राज्य कोटे की दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर सीटों (MDS) पर स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड में स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय-सारणी के अनुसार की जायेगी : -

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	दिनांक एवं समय
1	स्क्रूटनी एवं प्रवेश की प्रारंभ तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	दिनांक 10 सितम्बर 2024, समय Server Time 11:00 Hrs (11:00 AM) से
2	स्क्रूटनी की अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	दिनांक 11 सितम्बर 2024, समय Server Time 14:00 Hrs (02:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस हैं)
3	आबंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)	दिनांक 11 सितम्बर 2024, समय Server Time 17:00 Hrs (05:00 PM) तक *(सभी अवकाश दिवस कार्य दिवस हैं)


समस्त निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय संस्थाएँ, प्रथम, द्वितीय एवं मॉपअप राउण्ड काउंसिलिंग की भांति शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में ही, स्क्रूटनी उपरान्त पात्र अभ्यर्थी के प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने की व्यवस्था करें।

संबंधित निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय तद-अनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

नोट :-

- प्रवेश उपरान्त Admission Receipt जारी होने पर ही प्रवेश मान्य होगा, अतः अभ्यर्थी भी रुचि लेकर Admission Receipt जारी कराये तथा उसकी एक कॉपी अवश्य ले।  
संस्था ऑनलाईन रिपोर्टिंग Scrutiny Receipt स्क्रूटनी की अंतिम तिथि को रात्रि 08:00 बजे (20:00 Hrs) तक तथा Admission Receipt प्रवेश की अंतिम तिथि को रात्रि 11:59 बजे (23:59 Hrs) तक जारी कर सकेंगे।
- छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2017 का अवलोकन कर ही, स्क्रूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं से सुरक्षित रहें।
- शासकीय एवं समस्त निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय का आबंटन छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
09/09/24

अध्यक्ष,  
काउंसिलिंग समिति,  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

कमशः—2—

//2//

पृ. क्रमांक / 8132 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2024  
प्रतिलिपि :-

रायपुर दिनांक 09/09/2024

अधिष्ठाता, शासकीय दंत चिकि० महाविद्यालय रायपुर एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय छ०ग० की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संबंधित निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय तद-अनुसार स्कूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।  
(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

*Subh*  
09/09/24

अध्यक्ष,  
काउंसिलिंग समिति,  
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.